तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पदमा नाम की महिला ने अपने साथी महिला व पुरूषों के धिरोह द्वारा मारपीट कर प्रार्थी के द्वारा खरीदी हुई जमीन पर बनाये हुए 18 कमरो, लेट–बाथ, किचन, बरामदा पर उक्त पदमा नाम की महिला ने 15–16 कमरो मे किरायेदार रखकर 40000/– रूपये माहवार किराया लेकर कब्जा कर लिया है प्रार्थी जब अपने घर में रहने को जाता है तो उक्त महिला अपने सहयोगियो के साथ प्रार्थी के साथ गाली–गलोच, झगड़ा करती है। उक्त महिला व उसकी सहयोगी महिला व पुरूषों को पाबन्द किया जाये कि वह लोग प्रार्थी को उसके मकान में जाने से नही रोके, ना ही मारपीट करे और ना ही गालिया देवे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अपने स्वामित्व वाले परिसर से बेदखल, मारपीठ, गालिया देने से पाबन्द हेतु उक्त प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत पेश किया गया है। वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम के तहत केवल मात्र पुत्र/पुत्री/पौत्र या पौत्री से अनुतोष चाहा जा सकता है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परिसर मे पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत बनना नहीं पाया जाता है। जिस कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जात है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।	